फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

रतनलाल बनाम सहायक कलक्टर सांभरलेक

प्रकरण संख्या : 61 /2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.08.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05, अगस्त, 2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। टिप्पणी अप्राप्त है। अतः बा–इन्तजार टिप्पणी एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.09.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	
1-9-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर सांभर लेक की पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 19/2023 ब उनवानी रतन लाल बनाम रामचन्द्र व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर सांभर लेक की पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण	